

पत्र संख्या-स्था-1-सिंचाई विभाग वापसी-2012-अवर अभियन्ता / 2013-1/ 434 / वाणिज्य कर
(कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश)
(स्थापना अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ // 20 मई 2014

आदेश

शासन द्वारा अपने पत्र संख्या स0वि0क0नि0-1-रिट-1377/11-2013-114/2000 दिनांक 07.03.2014 से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23486-23489/2012 धर्मेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2013 के अनुपालन में वाणिज्य कर विभाग में सेवा स्थानान्तरण पर आये अवर अभियन्ताओं को उनके पैतृक विभाग (सिंचाई विभाग) के लिए शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जो अधिकारी निम्नवत् है:-

क्र0स0	विशेष अपील संख्या	अधिकारी का नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	2	3	4
1	316/2006	धर्मेन्द्र कुमार ,	वा0क0अ0(सत्यापन)	झांसी
2	316/2006	चन्द्रपाल सिंह	वा0क0अ0(सत्यापन)	बरेली जौन
3	316/2006	सतीश बाबू सिंघल	वा0क0अ0(सत्यापन)	अलीगढ जौन
4	316/2006	घनश्याम सिंह	वा0क0अ0(सत्यापन)	बरेली जौन
5	316/2006	जगदम्बिका प्रसाद पाण्डेय	वा0क0अ0(सत्यापन)	गोरखपुर जौन
6	316/2006	अरुण कुमार द्विवेदी ,	वा0क0अ0(सत्यापन)	आगरा जौन
7	316/2006	कमलेश कुमार पाण्डेय,	वा0क0अ0(सत्यापन)	मेरठ जौन
8	318/2006	धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल,	वा0क0अ0(सत्यापन)	सहारनपुर
9	318/2006	एस0पी0 सिंह ,	वा0क0अ0(सत्यापन)	मुरादाबाद जौन
10	318/2006	अनिल कुमार सेंगर	वा0क0अ0(सत्यापन)	अलीगढ जौन
11	318/2006	टेक चन्द्र सिंह,	वा0क0अ0(सत्यापन)	मेरठ जौन
12	319/2006	जितेन्द्र कुमार गुप्ता	वा0क0अ0(सत्यापन)	आगरा जौन
13	319/2006	पवन कुमार भारद्वाज,	वा0क0अ0(सत्यापन)	नौयडा जौन
14	318/2006	अनिल कुमार शर्मा,	वा0क0अ0(सत्यापन)	झांसी जौन
15	319/2006	रसिक बिहारी गुप्ता,	वा0क0अ0(सत्यापन)	मेरठ जौन
16	319/2006	आनन्द प्रकाश पाण्डेय ,	वा0क0अ0(सत्यापन)	गोरखपुर जौन
17	319/2006	विनोद ठाकुर,	वा0क0अ0(सत्यापन)	झांसी
18	319/2006	मुकुट बिहारी सैनी,	वा0क0अ0(सत्यापन)	मुरादाबाद जौन
19	319/2006	निर्मल कुमार भारद्वाज,	वा0क0अ0(सत्यापन)	वाराणसी जौन
20	319/2006	चन्द्र जीत सिंह यादव	वा0क0अ0(सत्यापन)	बरेली जौन
21	319/2006	रमेश प्रसाद	वा0क0अ0(सत्यापन)	मेरठ जौन
22	319/2006	विनोद कुमार तिवारी	वा0क0अ0(सत्यापन)	साम्पक केन्द्र व कारावन क्षेत्र, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ
23	322/2006	रवि प्रकाश तिवारी,	वा0क0अ0(सत्यापन)	इलाहाबाद जौन
24	322/2006	नागेन्द्र सिंह	वा0क0अ0(सत्यापन)	इलाहाबाद जौन

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) के पद पर कार्यरत निम्न अवर अभियन्ताओं को भी उनके पैतृक विभाग (सिंचाई विभाग) के लिए तत्काल अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0स0	विशेष अपील संख्या	अधिकारी का नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती
	2	2	3	4
	320/2006	संजीव अग्रवाल	वा0क0अ0(सत्यापन)	झांसी
	322/2006	राम खिलावन	वा0क0अ0(सत्यापन)	वाराणसी

श्री अतिरिक्त
श्री 00/00/00

20/5/14

जवाहर कमिश्नर
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ

3	4392/2007	श्री अर्जुन सिंह	वा0क0अ0(सत्यापन)	कानपुर
4	320/2006	श्री शिव कुमार वर्मा	वा0क0अ0(सत्यापन)	सहारनपुर

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-11-2013 के समादर में सिंचाई विभाग से वाणिज्य कर विभाग में आये उपरोक्त वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) / अवर अभियन्ताओं को शासन के आदेश दि0 07.03.2014 के अनुपालन में उनके पैतृक विभाग (सिंचाई विभाग) के लिए अवमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पैतृक विभाग में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

Mh. 20.3.14
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0स0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1 / 3, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव/ अनु सचिव, सिंचाई विभाग-1 / 2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 6743 दि0 26.12.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को शासन के उक्त पत्र दि0 07.03.2014 के अनुपालन में अपने जोन में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) / अवर अभियन्ताओं को उनके पैतृक विभाग (सिंचाई विभाग) के लिए तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सभी वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) को तत्काल उनके पैतृक विभाग सिंचाई विभाग के लिए नियमानुसार तत्काल कार्यमुक्त करते हुए फैक्स के माध्यम से इसकी सूचना मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. ज्वाइंट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) / ज्वाइंट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) इलाहाबाद / लखनऊ।
7. ज्वाइंट कमिश्नर (सेवावाद) वाणिज्य कर मुख्यालय।
8. अपर पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आपके अनुभाग में तैनात श्री विनोद कुमार तिवारी, वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) / अवर अभियन्ता (सम्पर्क केन्द्र एवं करापवंचन सेल) वाणिज्य कर मुख्यालय को उनके पैतृक विभाग (सिंचाई विभाग) हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
9. श्री विनोद कुमार तिवारी, वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) / अवर अभियन्ता (सम्पर्क केन्द्र एवं करापवंचन सेल) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वाणिज्य कर विभाग से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने पैतृक विभाग (सिंचाई विभाग) में योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश / मुख्यालय।
11. सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से अनुपालनार्थ।
12. चरित्र पंजिका अनुभाग, स्थापना राजपत्रित वाणिज्य कर मुख्यालय।
13. सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(विनोद कुमार सिंह)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।